<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र<u>0</u>

दांडिक प्रकरण क.—270/11 संस्थित दिनांक—13.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

प्रेमसिंह पुत्र पन्नीलाल आदिवासी उम्र 26 साल निवासी ग्राम तिन्सी थाना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: निर्णय :--

(आज दिनांक 04.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) (ए) के आरोप है कि वह दिनांक 28.04.2011 को करीबन 15:20 बजे स्थान नया बस स्टेण्ड, चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—28.04.2011 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नये बस स्टेण्ड पर तिन्सी का प्रेमसिह एक 315 बोर का कट्टा लिये घूम रहा है, तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के नरेंद्र सिंह, सुभाष, विनोद और हनुमंत सिंह के साथ खाना होकर बस स्टेण्ड पर पहुचें तो किशोर टेवल्स के सामने एक व्यक्ति घूमता हुआ मिला, जिसकी आरे मुखबिर ने इशारा किया जिसे समक्ष पंचान जहूर शाह एवं नरेंद्र कुमार जैन के समक्ष पकडा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रेमसिहं आदिवासी निवासी तिन्सी का बताया,जिसकी तालाशी ली तो सामने पेण्ट के नीचे कमर में एक 12 बोर का देश कटटा खुरसे तथा पेण्ट की दाहिनी जेब से एक 12 बोर का जिन्दा कारतूस मिला। प्रेमसिंह से उक्त पचानों के समक्ष कटटा कारतूस रखने का लाइसेंस पूछा तो न होना बताया। मौके पर साक्षी जहूर व नरेन्द्र के समक्ष अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 तैयार किया

गया तथा मौके पर ही अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श-पी 2 तैयार किया गया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा-25/27 आर्म्स एक्ट के तहत् पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 188 / 11 अंतर्गत धारा 25 / 27 आयुद्ध अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध की आरोप पढ कर सुनायें गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

- क्या अभियुक्त दिनांक 28.04.2011 को करीबन 15:20 बजे स्थान नया बस स्टेण्ड, चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कटटा व एक जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये ?
- दोष सिद्धी अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 05— अभियोजन की ओर से घटना को प्रमाणित करने के लिये अपने समर्थन में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में स्वयं जप्तीकर्ता एवं गिरफ्तारीकर्ता पुलिस अधिकारी तत्कालीन प्रधान आरक्षक जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) सहित हमराह पुलिस साक्षी आरक्षक हुकुम सिंह (अ०सां०–2) व तत्कालीन प्रधान आरक्षक एवं प्रकरण के विवेचक नरेन्द्र सिंह (अ०सा0–6) सहित जप्ती व गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षियों के रूप में जहूर शाह (अंग्सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 06-अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये जप्ती एवं गिरफतारी के स्वतंत्र साक्षी जहूर शाह (अ०सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0-4) ने अपने न्यायालीन कथनों में जंगबहादुर सिंह (अ०सा0-7) के द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर की गयी कार्यवाही का कोई समर्थन नही किया है। इन दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में कहना है कि वह अभियुक्त को नही जानते और न ही उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नही हैं। जहूर शाह

(अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार किये हैं, जिनके संबंध में एक ओर जहूर शाह (अ०सा०—1) का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि किस संबंध में प्रदर्श—पी 1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। वहीं नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) का कहना है कि उसकी थाने के बाहर चाय की दुकान हैं इसलिए पुलिस वालों ने उससे ह स्ताक्षर करा लिये। इन साक्षियों ने अपने कथनों में पुलिस को भी कथन देने से इन्कार किया है।

- 07— जहूर शाह (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण अभियोजन के द्वारा किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि दिनांक 28.04.11 को उनके सामने 15:20 बजे अभियुक्त प्रेम को जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा पकडकर उसकी तलाशी में 12 बोर का देशी कट्टा व 12 बोर का राउण्ड जप्त कर अभियुक्त की गिरफतारी की कार्यवाही की गयी थी।
- 08— अतः घटना के स्वंतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभिलेख पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में मात्र पुलिस के साक्षी आरक्षक हुकुम सिंह (अ0सा0—2), नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—6) व सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) की साक्ष्य शेष रह जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत नाथूसिंह बनाम् मध्यप्रदेश राज्य A.I.R 1973 S.C. 2783 एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत काले बाबू बनाम् मध्यप्रदेश राज्य 2008 (4) M.P.H.T. 397 में यह विधि प्रतिपादित की है कि यदि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं भी किया जाता है तब भी यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हैं तो उसे विचार में लिया जाना चाहिए।
- 09— माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत करम जीत सिंह बनाम् स्टेट देहली एडिमनीशटेशन (2003) S.C.C. 297 एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत बाबूलाल बनाम् मध्यप्रदेश राज्य 2004 (2) J.L.J. 425 में यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा पुष्टि न किये जाने के आधार पर पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य यांत्रिक तरीके से खारिज नहीं की जा सकती है वरन् पुलिस साक्षियों की साक्ष्य का भी सामान्य साक्षियों की साक्ष्य की तरह मूल्याकन किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टातों में प्रतिपादित की गयी विधि से यह सुस्थापित हैं कि मात्र पंच साक्षियों के द्वारा

अभियोजन का समर्थन न करने पर भी पुलिस साक्षियों की साक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पडता है यदि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हैं तो उसके आधार पर भी अभियोजन घटना प्रमाणित हो सकती हैं।

- 10— यह उल्लेखनीय है कि चूंकि पुलिस साक्षी निश्चित रूप से घटना के प्रमाणिकरण में हित बद्ध साक्षी होते हैं इसलिए उनकी साक्ष्य पर विश्वास किये जाने से पूर्व उनकी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है और यदि ऐसे मूल्यांकन के बाद पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वासनीय पायी जाती हैं, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में आरक्षक हुकुम सिंह (अ0सा0—2), नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—6) व सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) की साक्ष्य अभिलेख पर हैं। जिनमें से स्वयं अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—6) को मौके पर उपस्थित होना आरक्षक हुकुम सिंह (अ0सा0—2) एवं सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) ने अपने न्यायालीन कथनों में बताया है।
- 11— अभियोजन कहानी के अनुसार एवं सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) के अनुसार अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—6) सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) के साथ घटना के समय हमराह था, परन्तु हमराह होने के बाद भी इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं, इस साक्षी के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में मात्र प्रकरण की विवेचना के संबंध में कथन दिये गये हैं तथा इस साक्षी का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि वह घटना के समय सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) के साथ घटना स्थल पर था तथा उसके सामने जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) ने अभियुक्त से कट्टा व राउण्ड जप्त कर जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही की थीं। अतः इस साक्षी के कथनों में घटना के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
- 12— सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनाक 28.04.11 को उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी थी कि अभियुक्त प्रेम सिंहत एक अन्य अभियुक्त महेन्द्र नये बस स्टेण्ड पर कट्टा लेकर बारदात करने की नीयत से घूम रहे है, जिसकी तस्दीक के लिये वह नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—6), आरक्षक सुभाष, विनोद एवं आरक्षक हुकुम सिंह (अ०सा०—2) के साथ नये बस स्टेण्ड पिछोर चंदेरी पहुचा था। जहां किशोर ट्रेवल्स के पास उसने मुखबिर के इशारे पर मोके पर उपस्थित साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) के सामने आरोपी को पकडा था और आरोपी की तलाशी में उसके पास से एक 12 बोर का कट्टा पेंट में कमरे

के नीचे और एक 12 बारे का जिंदा राउण्ड जेब में मिला था, जिसको रखने का लाइसेंस अभियुक्त के पास नही था। जंगबहादुर सिंह (अ०सा0-7) के अनुसार उसने मौके पर आरोपी से कट्टा व राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श-पी 1 तैयार किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श-पी 2 बनाया था जिन पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 13—सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-7) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से कही भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे मुखबिर द्वारा दिनांक 28.04.11 को कितने बजे सूचना प्राप्त हुयी थी तथा उनके द्वारा सूचना की तस्दीक के लिये थाने पर रवानगी कितने बजे डाली थी तथा वह घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचे थें एवं कितने बजे उनके द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी, उक्त कार्यवाही सुबह की गयी थी या शामं को की गयी थी, दिन में की गयी थी अथवा रात में की गयी थी, यह कही भी इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में स्पष्ट नही किया हैं।
- 14— जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) के अनुसार अभियुक्त उसे किशोर ट्रेवल्स पर मिला था, जहां मुखबिर ने इशारे से उन्हें अभियुक्त के बारे में बताया था। किशोर ट्रेवल्स नया बस स्टेण्ड निश्चित रूप से एक भीड भाड वाला स्थान होकर बड़ी जगह हैं, जिसकी पुष्टि जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-7) ने अपने कथनों में की हैं। उक्त बस स्टेंण्ड पर मुखबिर उन्हें कहा मिला था तथा मुखबिर की सूचना पर से अभियुक्त को उन्होंने किशोर ट्रेवल्स से कितनी दूरी पर व किस स्थान पर से पकडा था तथा जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी जहूर (अ0सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ0सा0-4) उसे कहां मिले थे यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया हैं।
- 15— जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) के कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त जप्ती व गिरफतारी के लिये साक्षियों के समेत उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि निश्चित रूप से संभव नहीं है, एक व्यक्ति जो बारदात करने की नियत से घूम रहा हो वह निश्चित रूप से वह पुलिस को देखकर भागने का प्रयास अवश्य करेगा, परन्तु जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) एवं हुकुम सिंह (अ०सा०-2) के कथनों से ऐसा कही प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसी कोई प्रतिकिया उन्हें देखकर मोके पर दी गयी हैं।
- 16— जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) साक्षियों के समक्ष तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास कट्टा व राउण्ड तलाशी में पाया जाना बताता है और मोके पर जप्ती व गिरफतारी पंचनामा भी बनाया जाना बताता हैं परन्तु उक्त जप्ती व गिरफ्तारी

की कार्यवाही जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) के समक्ष उनकी उपस्थिति में की गयी तथा इन साक्षियों को जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने बनाया इस संबंध में जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने अपने कथनों में कहीं भी स्पष्ट नही किया। हमराह साक्षी आरक्षक हुकुम सिंह (अ०सा०—2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं इन साक्षियों के सामने जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा अभियुक्त से संबंधित कोई कार्यवाही की गयी, इस संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं।

- 17— हुकुम सिंह (अ0सा0—2) अपने न्यायालीन कथनों में नरेन्द्र सिंह (अ0सा0—6) के साथ नये बस स्टेण्ड चंदेरी पर जाना बताता हैं, जबिक यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहता है कि उसे यह याद नही है कि जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) साथ में थे। जिस व्यक्ति के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही किया जाना बताया गया है उस व्यक्ति के संबंध में भी हमराह आरक्षक होने के बाद भी हुकुम सिंह (अ0सा0—2) यह बताने की स्थिति में नही है कि मौके पर वास्तव में कार्यवाही किसने की थी। हुकुम सिंह (अ0सा0—2) अपने न्यायालीन कथनों में जप्तशुदा कट्टे व कारतूस का हुलिया तक नही बता सका हैं और न ही इस साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही जहूर (अ0सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ0सा0—4) के समक्ष की गयी थीं। जबिक यह स्वयं मौके पर अभियुक्त को पकडना अपने कथनों में बताता हैं।
- 18— अतः जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) व हुकुम सिंह (अ०सा०—2) के न्यायालीन कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त से कट्टा व कारतूस की जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही एवं मोके पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 की लिखापढी साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) के समक्ष मोके पर की गयी। वहीं हुकुम सिंह (अ०सा०—2) के द्वारा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के बाद भी यह नहीं बता पाना की वास्तव में जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही किस पुलिस अधिकारी के द्वारा की गयी थी व किन साक्षियों के समक्ष की गयी थी अपने आप में इस साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थित को संदिग्ध बनाता हैं।
- 19— यह उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 उक्त पत्रकों में उल्लेखित की गयी कार्यवाही की तात्विक साक्ष्य नही होती हैं एवं अपने उक्त पत्रक अपने आप में इस बात का निश्चायक प्रमाण नही है कि घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से कट्टा व

कारतूस जप्त किया गया था तथा अभियुक्त को मोके पर गिरफ्तार किया गया था। जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 की कार्यवाही को अभियोजन को मोखिक साक्ष्य से साबित करना होता हैं। इस संबंध में न्यायालय का उपरोक्त अभिमत मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत दशरथ बनाम् मध्यप्रदेश राज्य I.L.R 2008 M.P. 360, स्वरूप बनाम् मध्यप्रदेश राज्य 1996 (1) M.P.W.N. 84 पर आधारित है जो अवलोकनीय हैं

20— सहायक उपनिरीक्षक जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा मोके पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 तैयार किया जाना एवं उस अपने हस्ताक्षर होना अपने कथनों में बताया गया है, परन्तु उक्त जप्ती पंचनामा एवं गिरफतारी पंचनामा की कार्यवाही के साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) को बनाया गया तथा उनके सामने जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 की कार्यवाही की गयी थी, इस संबंध में इस साक्षी के कथन मौन हैं। इस साक्षी ने इस संबंध में भी कोई कथन न्यायालय में नही दिये है कि उसने मोके पर उक्त कार्यवाही के समय जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 पर साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) के हस्ताक्षर कराये थे। आरक्षक हुकुम सिंह (अ०सा०—2) ने भी उपरोक्त साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थित के संबंध में कोई कथन नही दिये हैं तथा यह साक्षी नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—6) के द्वारा अभियुक्त को गिरफतार कर थाने पर लाना बताता हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कहता है कि जप्ती पंचनामा मेरे सामने नही बना थाने पर दीवानजी ने बनाया था।

21—अतः जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा मौके पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श—पी 1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श—पी 2 की कार्यवाही साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) के समक्ष की एवं उनके मोके पर उपरोक्त पत्रकों पर हस्ताक्षर करायें यह अभिलेख आयी साक्ष्य साबित नही होता है। जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) को मुखबिर से कितने बजे सूचना प्राप्त हुयी कितने बजे उन्होंने थाने से रवानगी डाली एवं कितने बजे जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी इस संबंध में जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नही दिये हैं। जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में दोपहर 14:50 बजे मुखबिर की सूचना मिलना बताया है तथा यह साक्षी 10 मिनिट में घटना स्थल पर पहुंचना भी बताता है, जिसके अनुसार वह 03 बजे घटना स्थल पर पहुंच गया था तथा किशोर ट्रेवल्स से 03:30 बजे निकलकर वह नये बस स्टेण्ड पर 5 मिनिट में पहुच गया था।

- (
- 22— जंगबहादुर सिंह (अ०सा0-7) उपरोक्त कथनों के अनुसार 14:50 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद उसने अभियुक्त प्रेम के संबंध में किशोर ट्रेवल्स पर पहुचकर प्रदर्श-पी 1 व 2 की कार्यवाही 03:30 बजे तक कर ली थी तथा 5 मिनिट में वह नये बस स्टैण्ड दूसरें अभियुक्त को पकड़ने के लिये पहुंच गया था। थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 7 में शाम 06:40 बजे का लेख हैं, जो कि सूचना मिलने के लगभग 4 घण्टे की अवधि है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 7 में घटना स्थल से थाने की दूरी एक किलोमीटर दर्शायी गयी हैं। जंगबहादुर सिह स्वयं 10 मिनिट घटना रथल पर पहुंचना बताता हैं, परन्तु घटना स्थल पर पहुचकर अभियुक्त प्रेम के विरूद्ध 03:30 बजे तक कार्यवाही निबटाने के बाद थाने पर वापसी करने में उसे लगभग तीन घण्टे का समय लगा, निश्चित रूप से इस साक्षी का अपने कथनो में कहना है उसने प्रेम को पकडने के बाद महेंद्र को पकडा था। जिसे नये बस स्टेण्ड पिछोर रोड से यह साक्षी पकडना बताता हैं। इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में कहना है कि उक्त दूरी आधा किलोमीटर के अंदर थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में इस साक्षी ने यह स्वीाकर किया है कि नये बस स्टेण्ड और किशोर ट्रेवल्स अलग अलग नही है, बीच में एक ग्राउण्ड हैं।
- 23— यदि यह मान भी लिया जावे कि जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) ने प्रेम को पकड़ने के बाद अभियुक्त महेंद्र के संबंध में कार्यवाही की थी, तब भी दोनो ह । तना स्थल की दूरी को देखते हुये इन दोनों कार्यवाहियों के बीच में दो घण्टे का अंतराल होना एक सामान्य विलंब नहीं हैं जो निश्चित रूप से जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) की कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है। जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा मात्र कट्टे व कारतूस को जप्ती चिट लगाकर शील किया जाना बताया गया है तथा मोके पर यदि जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना भी मान लिया जावे, तो मुश्किल से यह कार्यवाही 10—15 मिनिट की हैं, परन्तु इसके बाद मुखबिर की सूचना 14:50 बजे प्राप्त होने के बाद एवं यह सूचना की अभियुक्त बारदात करने की नियत से घूम रहे हैं, पश्चात् के घटना स्थल से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर अभियुक्त महेंद्र को पकड़ने में कोई तत्पर्यता जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—6) के द्वारा नही दिखायी गयी। एक व्यक्ति जो वारदात करने की नियत से घूम रहा है और आधा किलोमीटर दूर उससे पुलिस को फिर भी वह दो घण्टे तक मोके पर रह कर कट्टा व कारतूस सहित पुलिस की प्रतिक्षा करेगा, यह समझ से परे हैं।
- 24— मुखबिर की सूचना किस समय प्राप्त हुयी, किस समय थाने से रवानगी डालकर जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) घटना स्थल पर पहुचे इसको प्रमाणित

करने के लिये रोजनामचा सान्हा की नकल प्रदर्श—पी 8 अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त रोजनामचा प्रदर्श—पी 8 मूल की नकल न होकर रोजनामचा की नकल हैं, जिसे इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में स्वीकार किया है। उक्त नकल को द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने के संबंध में धारा 65 साक्ष्य अधिनियम की कोई भी शर्त अभियोजन के द्वारा साबित नहीं की गयी है और न ही मूल सान्हा से प्रदर्श—पी 8 प्रमाणित कराया गया हैं। जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के प्रदर्श—पी 8 पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होना बताता है परन्तु स्वयं अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—6) प्रदर्श—पी 8 के सान्हा पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की है और न ही उसे विधिवत् प्रमाणित किया है। अतः प्रदर्श—पी 8 का दस्तावेज अभियोजन के द्वारा विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है।

- 25—मुखबिर की सूचना पर थाने पर रवानगी व कार्यवाही करने के उपरांत वापसी को किस सान्हा क्रमांक पर कितने बजे दर्ज किया गया, यह विधिवत् अभियोजन साबित नहीं कर पाया हैं, वहीं जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 व गिरफतारी प्रदर्श—पी 2 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 7 पर भी सान्हा क्रमांक, रवानगी व वापसी का कही भी कोई उल्लेख नहीं है। जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) ने 14:50 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर 10 मिनिट पर ६ टिना स्थल पर पहुचना बताता है जबिक उसके हमराह साक्षी हुकुम सिंह (अ0सा0—2) शामं 04:30 बजे थाने से रवाना होना बताता हैं अतः ऐसे में साक्षियों के कथनों में थाने से रवानगी के समय को लेकर विरोधाभास की स्थिति है। वहीं जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 व गिरफतारी पत्रक प्रदर्श—पी 2 पर दर्शाये गये समय पर जंगबहादुर सिंह (अ0सा0—7) के द्वारा घटना स्थल पर कार्यवाही की गयी यह साबित करने के लिये कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं।
- 26— जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने अपने कथनों में बताया है कि उसने अभियुक्त के पास से एक 12 बोर का कट्टा व 12 बोर का जिंदा राउण्ड मोके से जप्त किया था, परन्तु उक्त कट्टे व कारतूस की पहचान का उल्लेख इस साक्षी ने न तो अपने कथनों में किया है और न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 में ऐसा कोई उल्लेख हैं। इस साक्षी के द्वारा जिंदा राउण्ड मोके से जप्त किया जाना बताया गया हैं, जिसका उल्लेख जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 में है, वहीं जो कट्टा जप्त किया जाना बताया गया है, उसके नाल की लंबाई 5 इंच लेख हैं। उक्त कट्टे व कारतूस को यह साक्षी मोके पर मात्र अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में जप्ती चिट लगाकर शील करना बताता हैं उक्त जप्ती चिट में क्या लिखा था व किस प्रकार बनायी गयी व उस पर किस के हस्ताक्षर थे, यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया।

- 27— जंगबहाद्र सिंह (अ०सा०-7) के द्वारा मोके पर अभियुक्त से जो कट्टा व कारतूस जप्त करना बताया गया हैं तथा जिसका उल्लेख प्रदर्श-पी 1 में हैं, अभियोजन के अनुसार उसी कट्टे व कारतूस की जांच आर्म्स मोहरिर प्रेमसिंह यादव (अं०सा0-3) के द्वारा की गयी हैं, जिसके संबंध में अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ०सा०-६) ने अपने कथनों में बताया है, परन्तु आर्म्स मोहरिर प्रेमसिंह यादव (अ०सा०-3) के द्वारा जिस कट्टे व राउण्ड की जांच की गयी, वह जंगबहादुर सिंह (अंग्सा०-7) के द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 1 में दर्शाये गये कट्टे व कारतूस से मैल नही खाती है। सर्व प्रथम तो जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) जप्त शुदा कट्टे व कारतूस की कोई पहचान अपने कथनों में नहीं बता सका। इसी साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में व जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 1 में अभियुक्त से जिंदा राउण्ड जप्त किया जाना बताया है जबिक आर्म्स मोहरिर प्रेमसिंह यादव (अ०सा०-3) इस प्रकरण में जांच हेत् प्राप्त राउण्ड मिस राउण्ड होना बताता हैं। जप्ती पत्रक में कट्टे की नाल की लंबाई 5 इंच लेख हैं, जबिक प्रेमसिंह यादव (अ०सा0-3) के द्वारा जिस कट्टे की जांच की गयी उसके बैरल की लंबाई 5.25 इंच हैं। अतः स्पष्ट है कि जंगबहाद्र सिंह (अ०सा0-7) के द्वारा जिस कटटे व राउण्ड का उल्लेख पर जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 1 में किया गया हैं, एवं आर्म्स मोहरिर प्रेमसिंह यादव (अ0सा0-3) ने जिस कटटे व राउण्ड की जांच की है, वह दोनों ही भिन्न हैं।
- 28— मोके पर जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा कट्टे को विधिवत् जप्त कर उसे साक्षियों के समक्ष कपड़े में चपड़ी शील से शीलबंध नहीं किया गया। जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) कट्टे व राउण्ड को जो जप्ती चिट लगाकर शील बंद किया जाना बताता हैं, वह जप्ती चिट भी आर्टिकल प्रदर्शित करने के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुई हैं। प्रेमसिंह यादव (अ०सा०—3) जप्ती चिट लगा हुआ कट्टा व राउण्ड जांच हेतु प्राप्त होना बताता हैं परन्तु उक्त जप्ती चिट में क्या लेख था, इसका कोई उल्लेख इस साक्षी की रिपोर्ट प्रदर्श—पी 4 में नहीं है।
- 29— जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा मोके पर कट्टे व राउण्ड को विधिवत् कपडे में शील्ड न किया जाना एवं जप्त शुदा कट्टे व राउण्ड एवं प्रेमसिंह यादव (अ०सा0—3) के द्वारा जांच किये गये कट्टे व राउण्ड में अंतर होना एवं हमराह साक्षी हुकुम सिंह (अ०सा0—2) के द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष कार्यवाही किया जाना न बता कर सारी कार्यवाही थाने पर किया जाना बताने से एवं स्वतंत्र साक्षी जहूर (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) के द्वारा जप्ती व गिरफतारी के कार्यवाही का अपने सामने न होना बताना संपूर्ण जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही को संदेह के घेरे में ले आता है।

- 30— यहां मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत बिलाल अहमद बनाम् आंध्रप्रदेश राज्य A.I.R. 1997 S.C. 348 में प्रतिपादित की गयी विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं, जिसमें मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिवॉल्वर और कारतूस को मौके पर शीलबंध किया जाना महत्वपूर्ण नही माना था, क्योंकि जप्तशुदा सामानों का विवरण और विशेषज्ञ की रिपोर्ट का विवरण समान था और उक्त कारण से जप्त सामाग्री को टैम्पर करने का बचाव अमान्य किया गया था, परन्तु ऐसी स्थिति में जहां जप्ती पत्रक में जप्त शुदा आयुद्ध का विवरण एवं आम्स मोहर्रिर के द्वारा जांच किये गये आयुद्ध का जांच रिपोर्ट में किया गया विवरण भिन्न हैं, तो निश्चित रूप से मौके पर आयुद्धों का शीलबंध न होना महत्वपूर्ण हो जाता हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में यह स्थिति उत्पन्न होती है कि जिस आयुद्ध को अनुसंधानकर्ता अधिकारी मौके से जप्त किया जाना बता रहा हैं वास्तव उस आयुद्ध की जांच आर्म्स मोहर्रिर प्रेमसिंह यादव (अ०सा0—3) के द्वारा नहीं की गयी।
- 31— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाने जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदर्श—पी 6 को प्रमाणित करने के लिये आर्म्स क्लर्क अमर लाल कौशिक (अ०सा०—5) के कथन न्यायालय में कराये गये, जिसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा प्रदर्श—पी 6 का आदेश जारी किये जाने की पुष्टि करते हुये उस पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान की है, परन्तु यदि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यही प्रमाणित नहीं हैं कि अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा जिस कट्टे व कारतूस को मौके पर जप्त किया गया, उसी की जांच आर्म्स मोहरिर प्रेमसिंह यादव (अ०सा०—3) के द्वारा की गयी तथा उन्ही आयुद्ध के संबंध में दिनांक 30.04.2011 को प्रदर्श—पी 4 की रिपोर्ट तैयार की गयी, तो उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुये अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति के संबंध में दिया गया आदेश प्रदर्श—पी 6 स्वतः ही दूषित हो जाता है।
- 32— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस स्थान से अभियुक्त से वह आयुद्ध जप्त किया जाना बता रहा हैं, वहा आवागमन बना रहता हैं, तथा व्यस्तम जगह हैं, जिसके संबंध में बचाव पक्ष की इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह प्रतिरक्षा है कि ऐसे स्थानों पर मौके के साक्षी उपलब्ध होने के बाद भी जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी जहूर (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) को बनाया गया है जो कि पुलिस के पॉकेट साक्षी हैं, हालांकि इस प्रतिरक्षा को जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में अस्वीकार करते हुयें जहूर (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) को मौके का ही साक्षी होना बताया हैं परन्तु जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के उपरोक्त कथनो का

समर्थन यह दोनों ही साक्षी अपने कथनों में नही करते हैं।

- 33-जहूर (अ०सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0-4) दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) के द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नही दिये हैं यह साक्षी जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी 1 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श-पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करते हैं, परन्तु किस संबंध में वह हस्ताक्षर किये गयें, यह जानकारी न होना बताता है। नरेन्द्रं कुमार जैन (अ०सा0-4) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि उसकी चाय की दुकान हैं, इसलिए पुलिस वाले उससे हस्ताक्षर करा लेते हैं, इस साक्षी का कहना है कि उसने चंदेरी बस स्टेण्ड पर कोई हस्ताक्षर नही किये, इसी प्रकार जहूर (अ०सा०-1) अपने प्रतिपरीक्षण में थाने के सामने प्रदर्श-पी 1 व 2 पर हस्ताक्षर करना बताता हैं, जबकि घटना स्थल किशार टेवल्स नया बस स्टेण्ड हैं।
- 33— अतः जहूर (अ०सा०–1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०–4) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि यह दोनों ही साक्षी मौके के साक्षी नहीं थे बल्कि यह पुलिस के पॉकेट विटनेश हैं, जिन्हें थाने के गवाहों के रूप में कई प्रकरणों में साक्षी बनाया जाता रहा है। इन साक्षियों के समक्ष प्रदर्श-पी 1 व 2 की कार्यवाही एवं मौके पर प्रदर्श-पी 1 व 2 पर इन साक्षियों के हस्ताक्षर कराये गयें, इस संबंध में जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-7) ने जहां कोई कथन नही दिये हैं, वही हुकुम सिंह (अ०सा0-2) पूरी कार्यवाही थाने पर होना बताता हैं। अतः उपरोक्त आधार पर बचाव पक्ष के द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा की जहूर (अ०सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0-4) पुलिस के ही साक्षी हैं, प्रमाणित होती हैं।
- 34— जंगबहादुर सिंह (अ०सा०-7) अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह स्वीकार करता है कि घटना रंथल के आसपास आवागमन बना रहता हैं, तथा उक्त स्थान भीड-भाड वाला स्थान हैं। जिससे निश्चित रूप से मौके पर अभियुक्त के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही की गयी, तो समय उक्त कार्यवाही भीडभांड वाला स्थान होने से मौके के कई व्यक्तियों के समक्ष की गयी होगी। जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-7) का कही भी यह कहना नही है कि उसने घटना स्थल के ही साक्षियों को जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही का साक्षी बनाने का प्रयास किया हैं। जंगबहादुर सिंह (अ0सा0–7) के द्वारा मौके पर थाने से रवानगी डालने के बाद अभियुक्त सहित एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध भी कार्यवाही करना बताया हैं तथा दोनों ही कार्यवाही में साक्षी जहूर (अ०सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ0सा0-4) हैं। जंगबहादुर सिंह (अ0सा0-7) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वयं यह स्वीकार करता हैं कि जहूर (अ०सा0-1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ0सा0-4) उसके साथ घटना दिनांक को 01 बजे से लेकर शाम 06:30 बजे

- 35— जहूर (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) का पुलिस का साक्षी होना प्रमाणित हैं। वह 01 बजे से लेकर 06:30 बजे तक जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के साथ रहे थे तथा दोनों कार्यवाही इन दोनों ही साक्षियों के समक्ष की जाना जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा बताया गया हैं। जबिक दोनों ही घटना स्थल अलग—अलग है। यदि दोनो ही साक्षी मौके के साक्षी होते तो जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के साथ लगभग 05:30 घण्टे तक दोनो घटना स्थल पर उपस्थित नही रहते। अतः स्पष्ट होता है कि जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से ही जहूर (अ०सा0—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा0—4) को प्रदर्श—पी 1 व 2 का साक्षी बनाया गया तथा घटना स्थल भीडभाड वाला स्थान होने के बाद भी मौके के साक्षियों को साक्षी बनाने का कोई प्रयास नही किया गया। अतः उपरोक्त आधार पर भी जंगबहादुर सिंह (अ०सा0—7) के द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही संदेह के घेरे में आ जाती हैं।
- 36— अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) हमराह फोर्स के साथ थाने से रवानगी डालकर घटना स्थल पर पहुंचे थे यह साबित करने के लिये विधिवत् रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत कर प्रदर्श—पी 8 का दस्तावेज प्रमाणित नही किया गया। हमराह साक्षी हुकुम सिंह (अ०सा०—2), जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के स्थान पर जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—6) के द्वारा थाने पर की जाना बताया हैं। जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा प्रकरण में जप्त बताया गया कटटा व कारतूस मौके पर विधिवत् साक्षियों के समक्ष जप्त कर शीलबंद किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयीं तथा जप्ती चिट लगाकर भी कट्टे को शील किया गया, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से उक्त जप्ती चिट प्रस्तुत कर साबित नहीं किया।
- 37— जप्ती कर्ता अधिकारी जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 में दर्शायें गये कटटे व कारतूस का विवरण आर्म्स मोहरिंर प्रेमसिंह यादव (अ०सा०—3) के द्वारा जांच किये गये कट्टे व कारतूस के विवरण से भिन्न हैं। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रदर्श—पी 1 में जप्तशुदा कट्टे व कारतूस की जांच ही आर्म्स मोहरिंर प्रेमसिंह यादव (अ०सा०—3) के द्वारा की गयी। प्रदर्श—पी 4 की जांच रिपोर्ट के आधार पर दी गयी अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श—पी 5 भी उक्त आधार पर दूषित हो जाती हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ०सा०—6) के द्वारा मौके का साक्षी होने के बाद भी कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये गये वहीं जांच के लिये कट्टा प्रेषित की

जाने के अवधि में एवं अभियोजन की स्वीकृति हेतु कट्टा व कारतूस प्रेषित किये जाने तक कट्टा व कारतूस कहां रखा गया हैं, यह भी नरेंद्र सिंह (अ0सा0–6) के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

- 38— जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के अनुसार उसे यह सूचना प्राप्त हुयी थी, की अभियुक्त सिंहत एक अन्य अभियुक्त बारदात करने की नियत से घूम रहे थे और वह इस सूचना के समय थाने से मात्र एक किलोमीटर दूर था। उसके बाद भी दोनो अभियुक्तगण को पकड़ने एवं जप्ती कार्यवाही करने का जो समय जप्ती व गिरफतारी पत्रकों में दर्शाया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा पूरे इतिमनान से कार्यवाही की गयी। मौके के गवाहों को साक्षी न बनाये जाने का भी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं जप्ती व गिरफतारी के साक्षी जहूर (अ०सा०—1) व नरेन्द्र कुमार जैन (अ०सा०—4) पुलिस साक्षी हैं, जिन्हें जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा मौके का साक्षी बता कर पूरी कार्यवाही की गयी थी।
- 39— अतः ऐसे में उपरोक्त आधारो पर जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा की गयी कार्यवाही एवं न्यायालय में दिये कथनों पर विश्वास करने का कोई ठोस आधार अभिलेख पर नहीं हैं। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) के द्वारा की गयी कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती हैं तथा जंगबहादुर सिंह (अ०सा०—7) एवं हुकुम सिंह (अ०सा०—2) के साक्ष्य से जप्ती पत्रक प्रदर्श—पी 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श—पी 2 की कार्यवाही साबित नही होती हैं। परिणाम स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.04.2011 को करीबन 15:20 बजे स्थान नया बस स्टेण्ड, चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस रखे हुये पाया गया।
- 40— फलस्वरूप <u>अभियुक्त प्रेमिसंह पुत्र पन्नीलाल आदिवासी</u> के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा— 25 (1—बी) (ए) के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्त प्रेमिसंह पुत्र पन्नीलाल आदिवासी</u> को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 41— अभियुक्त प्रेमिसंह पुत्र पन्नीलाल आदिवासी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कट्टा व

(15) <u>दांडिक प्रकरण क.-270 / 11</u>

कारतूस अपील अवधि के पश्चात् अपील न होने की दशा में निराकरण के लिये जिला दण्डाधिकारी को भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)